न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

रिमाण्ड प्र.सं. 08/2020
प्र.सं.— 69/2017
जी.सी.एम.एस. : 2020/00112

1. कुलदीप सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:प्रार्थी

बनाम

1. हरबंश सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. कुलदीप सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एमके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री राजीव जग्गा, वकील अप्रार्थी सं. 2

—: निर्णय :—

दिनांक : 23.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चक 2 एमके के मु.नं. 25 प.नं. 123/282 के कि.नं. 8/3 में .063, 14 सालम, 15/2 में .190, 16/1 में .089, 17,18,19,20 सालम कुल 1.607है. नहरी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चक 2 एमके मु.नं. 25 प.नं. 123/282 के कि.नं. 5—6 में 2—2 बीस्वा व कि.नं. 15 में $16^{1/2}$ फीट चौडा तथा 0—04 बीस्वा लम्बाई तक मुरब्बा लाईन के चिपता हुआ पूर्वी दिशा की ओर से रास्ता स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर "चक 2 एमके के मु.नं.25 प.नं. 123/282 के कि.नं. 5—6 प्रत्येक में 2—2 बीस्वा व कि.नं. 15 में $16^{1/2}$ फीट चौड़ा तथा 0—04 बीस्वा लम्बा रास्ता मुरब्बा लाईन के चिपता हुआ पूर्वी दिशा की ओर से रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले प्रत्येक अप्रार्थी खातेदार को रास्ते में आई भूमि के डी.एल.सी दर के दो गुणा राशी का भुगतार करेगा। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर स्वीकृतशुदा गैर मुमकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। के ओदश दिए गये थे।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.07.2019 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के पेश होने पर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 04.03.2020 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि दोनों पक्षों को सुनकर रा.का. अधि. की धारा 251 ए के नियम 69 की पालना करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे। के आदेशों के साथ मूल प्रकरण मय निर्णय की प्रति के इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

मूल रिकार्ड प्राप्त होने पर रिमाण्ड [illegible] किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 02.0[illegible]21 [illegible]द नोटिस तामील हाजिर नहीं होने के कारण एकतरफा कार्य[illegible] से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार [illegible] क्रमांक राजस्व/2021/[illegible] दिनांक 06.01.2021 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन [illegible] मुताबिक रिकार्ड स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं हैं। उपखण्ड [illegible]कारी रायसिंहनगर के निर्[illegible] दिनांक 16.07.2019 की पालना में चक 2 एमके इन्तकाल सं. 344 दिनांक 22.08.2019 को स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका हैं। वर्तमान में निर्णय की पालना पर श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हैं। प.नं. 123/281

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु.नं. 15 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में 0.025है. गै.मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, तथा मौका पर चालू है जो कि प.नं. 123/282 मु.नं. 25 के उतरी दिशा में चिपता हुआ है तथ प्रार्थी कुलदीप सिंह पुत्र परमजीत सिंह की खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु निकटतम दूरी पर स्थित हैं तथा इसी स्वीकृत शुदा रास्ता से कि.नं. 5–6 व 15(आंशिक) में से होकर प्रार्थी का खेत निकटतम दूरी पर हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए रास्ता स्वीकृति का निर्णय पारित किया था। जिसकी पालना मे प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशी भी जमा करवाई जा चुकी हैं। प्रार्थी की रास्ते की आवश्यक्ता अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा प्रकरण पूर्व में पारित निर्णय को यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया हैं कि यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो उन्हें रास्ता में आई भूमि के बदले भूमि दिलाई जावे।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2019 द्वारा रास्ता स्वीकृत कर मुआवजा के तौर पर डी.एल.सी दर की दो गुणा राशी अप्रार्थीगण को दिलाए जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में मुआवजा राशी जमा करवाई जा चुकी हैं। जिसकी फोटोप्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.07.2019 की पालना में चक 2 एमके इन्तकाल सं. 344 दिनांक 22.08.2019 को स्वीकृत होकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका हैं। तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु को स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता हैं इसका अंकन भी रिपोर्ट में किया हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। तथा चक 2 एमके के मु.नं.25 प.नं. 123/282 के कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 2–2 बीस्वा व कि.नं. 15 में $16^{1/2}$ फीट चौड़ा तथा 0–04 बीस्वा लम्बा रास्ता मुरब्बा लाईन के चिपता हुआ पूर्वी दिशा की ओर से गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। चूंकि प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशी पूर्व में ही जमा करवाई जा चुकी हैं। अतः तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर स्वीकृशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार मुआवजा राशी वितरित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.25 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

23/02/21

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी, राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner